ax/Mail

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक – 29.11.2016 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में जिलों से भाग लेने वाले उपस्थित अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारियों का स्वागत किया गया।

मुख्यालय से विशेष कार्य पदाधिकारी–सह– सहायक निदेशक, एल0आई0एस0 सलाहकार, जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (तकनीकी), संजय कुमार, वैज्ञानिक–डी, एन0आई0सी0 एवं जावेद मंजर, एन0आई0सी0 की उपस्थिति में बैठक (विडियो कॉन्फ्रेसिंग) की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(1) मौजा / हल्का अद्यतन :–

1.1 राजस्व ग्रामों की सूची / संख्या / हल्का संख्या अद्यतन करने संबंधी पूर्व में दिनांक–04.10.2016 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं निदेशालय के पत्रांक–2027 दिनांक 18.11.2016 का संदर्भ कराया गया। पूर्व की बैठक दिनांक 04.10.2016 के माध्यम से निदेश दिया गया था कि विभागीय बेवसाईट पर एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व ग्रामों की सूची / संख्या / हल्कों की संख्या अद्यतन करते हुए इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

भारत सरकार द्वारा Digital India Land Records Modernisation Programme - DILRMP द्वारा विकसित पोर्टल पर राजस्व ग्रामों की सूची / संख्या का सत्यापन निश्चित रूप से दिनांक 25.11.2016 तक करने का निदेश दिया गया है। इस संदर्भ में निदेशालय के पत्रांक–2027 दिनांक 18.11.2016 द्वारा मौजा अद्यतन का कार्य 25.11.2016 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। जिसकी समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलावार किया गया। इसी क्रम में यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि इस कार्य में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या / कठिनाई उत्पन्न होती है तो इस संबंध में निदेशालय / जिला डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 से सम्पर्क किया जाए। निदेशालय द्वारा उक्त कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जिलों द्वारा राजस्व ग्रामों की सूची / संख्या अद्यतन कर दिया गया है परन्तु हल्का संख्या की प्रविष्टि नहीं की गयी है। अधिकांश जिलों द्वारा राजस्व ग्रामों की सूची / संख्या / हल्का अद्यतन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

बैठक में अपर समाहर्त्ता, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बांका, पटना, रोहतास एवं पूर्णियाँ सहित अन्य जिलों जिनके द्वारा राजस्व ग्रामों की सूची / संख्या अद्यतन नहीं किया गया है, प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

1.2 बैठक में उपस्थित [illegible] पदाधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी [illegible] मात से विभागीय वेबसाईट के माध्यम से किये जा रहे मौजा अद्यतन के डाटा [illegible] सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल NLRMP के LRC योजना में संधारित राजस्व ग्रामों से संबंधित डाटा को स्थानान्तरित विभागीय स्तर पर किया जाएगा।

इसके उपरान्त [illegible] सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल NLRMP पर संधारित राजस्व ग्रामों की सूची को डाउनलोड कर अंचल स्तर पर सत्यापित करते हुए पुनः pdf formate में डाटा अंचलाधिकारी के login से भारत सरकार के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सकेगा। यह सुविधा [illegible] 01.12.2016 से NLRMP के वेबसाईट पर प्रारम्भ कर दी जाएगी। यह भी निदेश दिया गया कि उक्त स्कैन कॉपी का एक प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

1.3 समीक्षा के क्रम में [illegible] भी सुझाव दिया गया कि विभागीय वेबसाईट से मौजा संबंधी रिपोर्ट प्रिन्ट आउट में क्रम संख्या भी अंकित हो, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश एन0आई0सी0, पटना को दिया गया।

अनुपालन :– एन0आई0सी0, पटना।

(2) राजस्व खतियान एवं जमाबंदी पंजी–2 का स्कैनिंग :–

2.1 सर्वे खतियान एवं जमाबंदी पंजी स्कैनिंग का कार्य के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय पत्रांक 1301 दिनांक 22.07.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग सभी जिलों से की गयी थी, जिसके अनुपालन में 18 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

वर्त्तमान में 20 जिला यथा सारण, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढी, भोजपुर, बक्सर, मधुबनी, मधेपुरा एवं सहरसा जिला द्वारा उक्त वर्णित पत्र के आलोक में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा उक्त पत्र का अनुपालन निश्चित रूप से 10.12.2016 तक करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– संबंधित अपर समाहर्त्ता।

2.2 समीक्षा के क्रम में कतिपय जिलों द्वारा स्कैनिंग का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। कतिपय जिलों द्वारा आंशिक रूप से पूर्ण किया गया है। बैठक में यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि भू-अभिलेखों का स्कैनिंग एक अलग योजना है इस हेतु आवश्यक योजना की स्वीकृति वित्त/योजना विकास विभाग से ली जाए। इसी क्रम में निदेश दिया गया कि भू-अभिलेखों के स्कैनिंग का कार्य तत्काल अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए। योजना स्वीकृत होने के उपरान्त पुनः आवश्यक निदेश निदेशालय द्वारा जिलों को दिया जाएगा।

अनुपालन :— संबंधित अपर समाहर्त्ता।

2.3 बैठक में पुनः निदेश दिया गया कि भू-अभिलेखों के स्कैनिंग के उपरान्त चार (4) प्रतियों में प्रिन्ट आउट नहीं कराया जाए।

अनुपालन :— संबंधित अपर समाहर्त्ता।

(3) <u>भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण</u> :—

3.1 केन्द्र प्रायोजित योजना DILRMP के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस योजना की समीक्षा की गयी। प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना के प्रगति की वास्तविक समीक्षा में कठिनाई होती है। सभी जिलों को निदेश दिया गया कि भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन :— सभी अपर समाहर्त्ता।

3.2 निदेशालय पत्रांक — 1992 दिनांक 10.11.2015 द्वारा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। इसके संबंधित प्रतिवेदन 12 जिला यथा सारण, भागलपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सिवान, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, वैशाली, शिवहर एवं सहरसा द्वारा अब तक अप्राप्त है। इन जिलों को निदेश दिया गया कि 10 दिनों के अंदर वित्तीय प्रतिवेदन निश्चित रूप से निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाय।

अनुपालन :— संबंधित अपर समाहर्त्ता।

3.3 निदेशालय पत्रांक — 973 दिनांक 28.05.2015 द्वारा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक की प्रति की मां की गयी थी। बैठक की कार्यवाही कटिहार, पूर्वी चम्पारण, नवादा, रोहतास, पटन दरभंगा, मधुबनी एवं सहरसा जिलों द्वारा अब तक अप्राप्त है, इस पर अधोहस्ताक्षरी द्व खेद प्रकट किया गया तथा निदेश दिया गया कि जिला कार्यान्वयन समिति की बै शीघ्र आयोजित कर इसकी कार्यवाही निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन :— संबंधित अपर समाह

3.4 कतिपय जिलों द्वारा बताया गया कि उनके [illegible] अंतर्गत प्रतिनियुक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर वर्त[illegible] अंचलों में [illegible] भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा जिल[illegible] पुनः [illegible] डाटा इन्ट्री ऑपरेटर प्रतिनियुक्त [illegible] निदेशक, [illegible] गया कि वैसे अंचल जहाँ निदेशक, बेलट्रॉन, पटना से सीधे पत्राचार किया जाय तथा इसकी प्रति निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय। नहीं है, वहाँ ऑपरेटर प्रतिनियुक्त करने हेतु प्रबंध

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

(4) जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन के संबंध में :–

सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक–2066 दिनांक 28.11.2016 का संदर्भ उपस्थित पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों को कराया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसके गुणदोष के संबंध में मंतव्य/सुझाव उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया।

बैठक में पुनः सभी जिलों को निदेश दिया गया कि अपने जिला के प्रत्येक अचंल से एक–एक राजस्व ग्रामों को पायलट ग्राम चिन्हित करते हुए इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए तथा दिसंबर, 2016 के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से डाटा इन्ट्री का कार्य एन0आई0सी0, पटना द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूर्ण कराया जाए।

इस हेतु निदेशालय के पत्रांक–2062 दिनांक 25.11.2016 द्वारा जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन हेतु उपलब्ध हार्डवेयर/कार्यबल की उपलब्धता का प्रतिवेदन की मांग की गई है जिसे शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन के सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन :–

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) के अन्तर्गत विभाग ॉन लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसके यन के उद्देश्य से जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन का निर्णय उच्चस्तरीय लिया गया है। इस कार्य हेतु एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर का निर्माण ा है। तकनीकी समस्या के कारण उक्त सॉफ्टवेयर का प्रस्तुतीकरण इस बैठक या जा सका है। इस हेतु अलग से विडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से बैठक रने की आवश्यकता महसूस की गई।

(6) <u>रिविजनल सर्वे के संबंध में</u> :–

बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य के सभी जिलों में उपस्थित पदाधिकारियों को यह जानकारी उपलब्ध कराया गया कि पूर्व में बिहार सरकार द्वारा राज्य में रिविजनल सर्वे का कार्य कराया जा रहा था। राज्य के लगभग 26 जिलों में रिविजनल सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है परन्तु इन जिलों में रिविजनल सर्वे कार्य प्रारम्भ करने संबंधी अधिसूचना एवं इन जिलों में ग्रामवार रिविजनल सर्वे कार्य पूर्ण करने संबंधी अधिसूचना संधारित नहीं है।

बैठक में सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि अपने जिला में रिविजनल सर्वे प्रारम्भ करने संबंधी अधिसूचना एवं रिविजनल सर्वे कार्य पूर्ण करने संबंधी अधिसूचनाओं की प्रति प्राथमिकता के आधार पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता / तकनीकी कोषांग।

(6) <u>भूदान यज्ञ समिति के संबंध में</u> :–

राज्य में भूदान यज्ञ समिति द्वारा राज्य के भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध करायी जाती है जिसकी सम्पुष्टि जिला के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता / समाहर्त्ता द्वारा की जाती है। विभिन्न विभागीय समीक्षा बैठकों में पाया गया है कि भूदान यज्ञ समिति द्वारा अर्जित भूमि का सम्पुष्टि संबंधित जिला कार्यालय द्वारा नहीं होने के कारण लाभान्वितों को भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

अतः आवश्यक है कि जिला द्वारा भूदान यज्ञ समिति द्वारा अर्जित भूमि की सम्पुष्टि आवश्यक रूप से कर दिया जाए ताकि लाभान्वितों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराया जा सके।

उपरोक्त कार्य भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के वास्तविक एवं अद्यतन करने के उद्देश्य से आवश्यक है। विशेष सर्वेक्षण कार्य में भू–अभिलेखों के निर्माण हेतु भूदान यज्ञ समिति द्वारा अर्जित भूमि को संबंधित जिला द्वारा सम्पुष्ट किया जाना आवश्यक है।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

29/11/16

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–मौजा अद्यतन (सत्यापन)–242/2016–2082 **पटना, दिनांक** :–30-11-2016

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/16
निदेशक

ज्ञापांक :— 17—मौजा अद्यतन (सत्यापन)—242 / 2016...2082 **पटना, दिनांक** :—30/11/

प्रतिलिपि :— सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/16

निदेशक

ज्ञापांक :— 17—मौजा अद्यतन (सत्यापन)—242 / 2016...2082 **पटना, दिनांक** :—30/11/

प्रतिलिपि :— राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना / श्री आशीष रंजन, प्रोग्रामर, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/16

निदेशक

ज्ञापांक :— 17—मौजा अद्यतन (सत्यापन)—242 / 2016...2082 **पटना, दिनांक** :—30/11/

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/11/16

निदेशक

ज्ञापांक :— 17—मौजा अद्यतन (सत्यापन)—242 / 2016...2082 **पटना, दिनांक** :—30/11/

प्रतिलिपि :— विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

29/11/16

निदेशक